भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1189
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता

1189. श्री परवेज़ हाशमीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्तरहीन शिक्षा के लिए जिम्मेदार कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क): कतिपय अभिकरण अपने मानदण्डों के अनुसार वैश्विक रैंक वाले विश्वविद्यालयों या शिक्षा संस्थाओं की सूची प्रकाशित करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणालियां विभिन्न मूल्यों, सूचकांकों और पैरामीटरों का प्रयोग करती हैं जो न तो सर्वव्यापक तौर पर स्वीकार्य हैं न ही मान्यता प्राप्त हैं और इसलिए ये उनके द्वारा विषयपरक प्रक्रियाओं को अपनाने के कारण विवादास्पद हैं। इनमें कुछ पैरामीटर भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए संगत नहीं हैं और इसलिए ये रैंकें भारतीय संस्थाओं की बैंचमार्किंग के लिए आधार नहीं बन सकतीं। विभिन्न संस्थाओं को गुणवत्ता अबाध–क्रम (कांटीनम) में भिन्न–भिन्न स्थितियों में रखा जा सकता है। जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को विश्वभर में उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाएं माना जाता है, कुछ अन्यों को गुणवत्ता पैरामीटरों पर उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता।

(ख): उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता के सुधार के उद्देश्य से 12वीं योजना के योजना आबंटन में व्यापक वृद्धि प्रस्तावित है। देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को, विभिन्न विधायी पहलों के माध्यम से और आगे सुधारने की योजना भी है जिसमें सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाना शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है जैसेकि उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज, विशेष सहायता कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, अनुसंधान छात्रों एवं प्रबोधन के लिए अध्येतावृत्ति कार्यक्रम तथा नए नियुक्त और सेवाकालीन शिक्षकों के लिए उनके अकादमिक स्टाफ कॉलेजों के माध्यम से पुनश्चर्या कार्यक्रम। यूजीसी ने शिक्षा सुधारों के लिए सेमेस्टर सिस्टम प्रारंभ करने, पाठ्यचर्या तथा क्रेडिट अंतरण को नियमित रूप से अद्यतन बनाने सहित विभिन्न उपाय भी किए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सुधरे हुए वेतन पैकेज की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषणा की गई है ताकि शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सके और बनाए–रखा जा सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश स्तर पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)/राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) को अनिवार्य बनाया जाए, सिवाय उनके जिन्होंने पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अपने विनियमों में यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदण्ड का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालयों से पीएच.डी डिग्रियां प्राप्त की हैं।

*****